फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

सुखदेव बनाम हनुमान

करण संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		तामीवात / साक्ष्यवाही हेतु दिनांक 3/12/24 को पेश हो।	
	3/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा एडजोलेन्स / कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 6/11/24 को पेश हो	
	6/11/24	पत्रावली पेश। ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ अभिभाषक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। तीन बार आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः पक्षकार द्वारा पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पायीला दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)